[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना

सं. 15/2025-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2025

का.आ......(अ).– आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 44 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे, वार्षिक विवरणी फाइल करने के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को , जिसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपए तक का है, उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करता है।

[फा. सं. CBIC-20001/2/2025-जीएसटी]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव